2023 का विधेयक संख्यांक 14

हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023

खण्डों का क्रम

खण्डः

1. संक्षिप्त नाम।
2. धारा 2 का संशोधन।
3. धारा 23 का संशोधन।
4. धारा 24 का संशोधन।
5. धारा 55क का अन्तःस्थापन।

———————

2023 का विधेयक संख्यांक 14

हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1986 (1987 का अधिनियम संख्यांक 4) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

1. संक्षिप्त नाम.––इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2023 है।

2. धारा 2 का संशोधन.––हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1986 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 2 के खण्ड (प) में "बनाए गए" शब्दों के पश्चात् "नियमों," शब्द और चिन्ह अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

3. धारा 23 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (4) में "कुलाधिपति" शब्द के पश्चात् "सरकार की सहायता और सलाह पर" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

4. धारा 24 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 24 में,–

(i) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

"कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा, जिसकी नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा सरकार की सहायता और सलाह पर ऐसी रीति में की जाएगी, जैसी नियमों द्वारा विहित की जाए।''; और

(ii) उपधारा (2) का लोप किया जाएगा।

5. धारा 55क का अन्तःस्थापन.––मूल अधिनियम की धारा 55 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

"**55–क नियम बनाने की शक्ति.**–(1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में, अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र, विधान सभा के समक्ष, जब वह कुल दस दिन की अवधि से अन्यून सत्र में हों, के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या दो से अधिक अनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि सत्र के अवसान के पूर्व जिसमें यह इस तरह रखा गया था या शीघ्र बाद के सत्र में, विधान सभा में कोई उपांतरण करती है या विनिश्चय करती है कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो नियम उसके पश्चात् केवल ऐसे उपान्तरित रूप में, यथास्थिति, प्रभावी होगा, या निष्प्रभाव हो जाएगा, किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडेगा।"।

———————

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1986 को हिमाचल प्रदेश के दो विश्वविद्याालयों नामतः चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर और डा0 यशवन्त सिंह परमार औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय सोलन में कृषि, औद्यानिकी और वानिकी के क्षेत्रों में अध्ययन, अनुसंधान और विस्तार शिक्षा के समरूप मानदंडों के प्रवर्तन हेतु तथा उक्त विश्वविद्यालयों में कर्मचारियों की वित्तीय व्यवस्थाओं तथा सेवा शर्तों में एकरूपता लाने के लिए भी समुचित उपबंध करने हेतु अधिनियमित किया गया था।

तथापि, हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1986 की धारा 2, 23 और 24 में विश्वविद्याालयों में कुलपति की नियुक्ति हेतु लोकतान्त्रिक रूप से निर्वाचित सरकार की कोई भूमिका नहीं है, यद्यपि इन संस्थाओं का वित्तपोषण अनुदान के रूप में राज्य–बजट द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 युवा राष्ट्र की अपेक्षाओं की पूर्ति हेतु गुणात्मक परिवर्तन लाने और हमारी शिक्षा प्रणाली को वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए व्यापक रूपरेखा की व्यवस्था करती है। इसके लिए हमें ऐसे कुलपतियों की आवश्यकता है जो बहु–शिक्षा शाखाओं वाली संस्थाओं जो संवैधानिक मूल्यों और राष्ट्र निर्माण के प्रति प्रतिबद्ध हों, का सृजन करने में सक्षम हैं।

यह पाया गया है कि कुलपति के चयन से संबंधित विद्यमान उपबंध निर्बंधनात्मक हैं, क्योंकि ये लोगों की अपेक्षाओं का संज्ञान नहीं लेते तथा लोकतांत्रिक सरकार को उच्चतर शिक्षा की संस्थाओं को सही रूप प्रदान करने के इसके अधिकार का प्रयोग करने हेतु अनुज्ञात नहीं करते। हमारे जैसे लोकतांत्रिक राष्ट्र में, उच्चतर शिक्षा के संस्थानों की अध्यक्षता अवश्यमेव विख्यात लोगों द्वारा की जानी चाहिए, जो विश्वस्तर के संस्थानों और भारत के संविधान में उल्लिखित मूल्यों का परिवर्धन और सृजन कर सकें। अतः अधिनियम की धारा 2, 23 और 24 का संशोधन किया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने हेतु राज्य सरकार को नियम बनाने हेतु सशक्त करने के लिए एक नई धारा 55–क को अन्तःस्थापित किया जा रहा है। इससे उपरोक्त अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

यह विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(चन्द्र कुमार)
प्रभारी मन्त्री।

शिमला

तारीख 2023

वित्तीय ज्ञापन

–शून्य–

———————

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 4 और 5 राज्य सरकार को इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने हेतु नियम बनाने के लिए सशक्त करता है। शक्तियों का प्रस्तावित प्रत्यायोजन अनिवार्य और सामान्य स्वरूप का है।

———————

हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1986 (1987 का अधिनियम संख्यांक 4) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

(चन्द्र कुमार)
प्रभारी मन्त्री।

———————

(शरद कुमार लगवाल)
सचिव (विधि)।

शिमलाः

तारीख, 2023

———————

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL NO. 14 OF 2023

THE HIMACHAL PRADESH UNIVERSITIES OF AGRICULTURE, HORTICULTURE AND FORESTRY (AMENDMENT) BILL, 2023

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title.
2. Amendment of section 2.
3. Amendment of section 23.
4. Amendment of section 24.
5. Insertion of section 55-A.

BILL NO. 14 OF 2023

THE HIMACHAL PRADESH UNIVERSTIES OF AGRICULTURE, HORTICULTURE AND FORESTRY (AMENDMENT) BILL, 2023

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Universities of Agriculture, Horticulture and Forestry Act, 1986 (Act No. 4 of 1987).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-fourth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Universities of Agriculture, Horticulture and Forestry (Amendment) Act, 2023.

2. Amendment of section 2.—In section 2 of the Himachal Pradesh Universities of Agriculture, Horticulture and Forestry Act, 1986 (hereinafter referred to as the "principal Act"), in clause (u), after the words "prescribed by", the words and sign "the Rules," shall be inserted.

3. Amendment of section 23.—In section 23 of the principal Act, in sub-section (4), after the words "The Chancellor", the signs and the words, "on the aid and advice of the Government," shall be inserted.

4. Amendment of section 24.—In section 24 of the principal Act,—

(i) for sub-section (1), the following shall be substituted, namely:—

"The Vice-Chancellor shall be a whole time officer of the University, who shall be appointed by the Chancellor, on the aid and advice of the Government, in the manner as may be prescribed by the rules."; and

(ii) sub- section (2) shall be omitted.

5. Insertion of section 55-A .—After section 55 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—

"55-A. Power to make rules.—(1) The State Government may, by notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) Every rule made under this Act, shall be laid, as soon as may be after it is made, before the Legislative Assembly, while it is in session, for a total period of not less than ten days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session in which it is so laid or the session immediately following, the Assembly makes any modification in the rule or decides that the rule should not be made, the rule shall, thereafter, have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Himachal Pradesh Universities of Agriculture, Horticulture and Forestry Act, 1986 was enacted to make suitable provisions for enforcing uniform standards of teaching, research and extension education in the fields of agriculture, horticulture and forestry in the two Universities of Himachal Pradesh namely the Chaudhary Sarwan Kumar Himachal Pradesh Krishi Vishvavidyalya at Palampur and Dr. Yashwant Singh Parmar University of Horticulture and Forestry at Solan, as also, for having uniformity in financial arrangements and in service conditions of the employees in the said Universities.

However, in sections 2, 23, 24 of the Himachal Pradesh Universities of Agriculture, Horticulture and Forestry Act, 1986 there was no role of the democratically elected Government for appointment of Vice-Chancellor in the Universities even though the State Government issues Grant-in-Aid to these institutions. The National Education Policy, 2020 lays the broad framework to bring about the qualitative changes to meet the aspirations of a young nation and to align our education system to meet global changes. For this we need to have Vice-Chancellors who are capable to create multi-disciplinary institutions that are committed to constitutional values and nation building.

It is found that the existing provisions regarding selection of the Vice-Chancellor are restrictive as these do not take into account the aspirations of the people and do not allow democratic Government to exercise its right to shape the institutions of higher learning. In democratic nation like ours, the institutions of higher learning must be headed by the people of eminence who can create world class institutions that promote and foster values enshrined in the Constitution of India. Therefore, sections 2, 23, 24 of the Act need to be amended. Further, a new section 55-A empowering the State Government to make rules for carrying out the purposes of the Act is being inserted. This has necessitated amendments in the Act *ibid*.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(CHANDER KUMAR)
Minister-in-Charge.

SHIMLA:
THE , 2023.

FINANCIAL MEMORANDUM

—NIL—

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clauses 4 and 5 of the Bill seek to empower the State Government to make rules for carrying out the purposes of this Act. The proposed delegation of power is essential and normal in character.